2024/649

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी :– लक्ष्मी देवी दत्तक पुत्री स्व. गिरधारी पत्नी मेवाराम जाति बलाई (मेघवाल) निवासी कटारिया बास डीडवाना जिला डीडवाना –कुचामन ।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– अली हसन पुत्र अशरफ खां जाति पठान निवासी आनन्द भवन के सामने डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन वगै.।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या 218/**2024** सन्–**2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
27.12.2024	प्रार्थी लक्ष्मी देवी दत्तक पुत्री स्व. गिरधारी पत्नी मेवाराम जाति बलाई (मेघवाल) निवासी कटारिया बास डीडवाना जिला डीडवाना –कुचामन ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण अली हसन पुत्र अशरफ खां जाति पठान निवासी आनन्द भवन के सामने डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन वगै. के विरूद्ध पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थी श्री अल्ताफ हुसैन के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे सरहद पठानों का बाढ पटवार हल्का सिंघाणा के वर्तमान खसरा संख्या 272 की भूमि का विक्रय/ हस्तानान्तरण नहीं करेंगे, नया निर्माण नहीं करेंगे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट** :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए[illegible]करवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब [illegible] .01.2025 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Vikas Mohan Bhati Date: 2026.04.09 17:19:29 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी डीडवाना उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	18/8/2025 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र है कि संबंधित मूल वाद प्रार्थना 07 R-11 CDC स्वीकार होने पर खारिज हो चुका है, अतः मूल वाद का निस्तारण होने पर प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता। अतः मूल वाद के खारिज होने पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा रिकार्ड हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:19:29 IST
Reason: SelfAttested